लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अतिथिशिक्षक/2026-27/ 623 भोपाल, दिनांक 16-6-2026

//आदेश//

याचिकाकर्ता श्री मंगल सिंह लोधी पिता श्री रामचरण लोधी, ग्राम डिलौना तह. शाहगढ़ जिला सागर मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका WP 28657/2025 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार हैं:-

In view of the aforesaid, without expressing any view on the merits of the case, the present petition stands disposed of the present petition stands disposed of with a direction that if petitioners prefer fresh representation before respondent No. 2 within a period of 7 days from today, same shall be decided by respondent No.2/Commissioner, Directorate Public Instructions, Bhopal within a further period of 15 days by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

2. उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन अनुसार शासकीय हाई स्कूल डिलौना शाला प्रभारी न होने से सत्यापन नहीं हो सका जिस कारण विद्यालय में ज्वाईनिंग नहीं हो सकी।

3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/विधि/2026/2773 सागर दिनांक 06.04.2026 में दिए गए तथ्यों एवं प्रचलित नियम/निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं:-

3.1 अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण प्रक्रिया में अतिथि शिक्षक पोर्टल से जीवित स्कोर कार्ड होने पर ही अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों के द्वारा पंजीयन एवं योग्यता अपडेशन करना तथा क्षेत्र के किसी भी संकुल से सत्यापन कराना होता है। इस हेतु प्रतिवर्ष सत्र के अंत में निश्चित समय-सीमा के लिए अतिथि शिक्षक पोर्टल खोला जाता है। प्रकरण में परीक्षण करने पर पाया गया है, कि याचिकाकर्ता द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पंजीयन अनलॉक किया गया, किन्तु जानकारी अपडेट करने के पश्चात् संकुल स्तर से पंजीयन का सत्यापन नहीं कराया गया। इस कारण स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाया।

3.2 एजुकेशन पोर्टल **3.0** से प्राप्त जानकारी अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संकुल शासकीय उमावि. बारायथा शाहगढ़ से दिनांक **15.05.2025** को पंजीयन कर सत्यापन कराया गया।

3.4 याचिकाकर्ता शासकीय हाई स्कूल डिलौना में दिनांक **10.09.2025** से वर्ग-2 विज्ञान विषय पर उपस्थित है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निराकृत किया जाता हैं।

Digitally signed by
ABHISHEK SINGH
Date: 15-06-2026
14:34:28

आयुक्त

(अभिषेक सिंह)

लोक शिक्षण, मप्र.

पृ.क्रमांक/अतिथि शिक्षक/**2025-26/**624 भोपाल, दिनांक 16-6-2026

प्रतिलिपिः-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ट इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, विधि कक्ष स्थानीय, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला, सागर मध्यप्रदेश।
5. श्री मंगल सिंह लोधी पिता श्री रामचरण लोधी, ग्राम डिलौना तह. शाहगढ़ जिला सागर मध्यप्रदेश।

आयुक्त

लोक शिक्षण, मप्र.